

# पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर

☎ 0151-2204123(O)/Fax-2205123 Mobile -08107110011 (M)

E-mail : [cvas901@gmail.com](mailto:cvas901@gmail.com)

No. F ( )/Acctts /CVAS/2022/ 130

Dated 03-8-2022


## निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस महाविद्यालय के अधीनस्थ एवं राजूवास बीकानेर परिसर में स्थित विभिन्न विभागों के स्टोर में अनुपयोगी/ अप्रचलि/सरप्लस सामान (इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रीकल उपकरणों सहित) एवं जॉबो में प्रयोग आने वाली विभिन्न बहुमूल्य अनुपयोगी मशीनों की सम्बन्धित विभाग के कार्यालय परिसर में खुली बोली द्वारा नीलामी की जानी है जिसका विवरण निम्नांकित है :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सूची	कुल आईटम	पुस्तक मूल्य	आरक्षित निलामी राशि	बयान राशि	निलामी दिनांक
1.	क्लिनिकल वेटेनरी मेडिसिन इथिक एण्ड ज्युरीप्रुडेन्स बीकानेर	(अ) (ब)	84 203	2576940/- 387078/-	249399/- 29696/-	50000/- 7740/-	26.08.22 11.00 AM से
2.	वेटेनरी गायनाकॉलोजी एवं आब्स्ट्रेटिक्स. बीकानेर	(अ) (ब)	19 325	2250988/- 2332822/-	119350/- 132462/-	45020/- 46660/-	26.08.22 02.00 PMसे
3.	मुख्य छात्रावास अधीक्षक बीकानेर	(अ) (ब)	35 102	2148863/- 2447298/-	70805/- 246774/-	42980/- 48950/-	27.08.22 .11.00 AM से
4.	वेटेनरी एण्ड पशुपालन विस्तार शिक्षा विभाग बीकानेर	(अ) (ब)	03 44	219167/- 12389/-	33000/- 7530/-	4380/- 500/-	27.08.22 02.00 PM से
5.	लाइव स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स बीकानेर	(ब)	163	171731/-	8590/-	3440/-	27.08.22 04.00 PM से
6.	वेटेनरी पब्लिक हेल्थ बीकानेर	(ब)	135	75080/-	35190/-	1500/-	29.08.22
7.	फोडर फार्म बीकानेर	(ब)	36	93637/-	11481/-	1870/-	29.08.22
8.	वेटेनरी पेरसाईटॉलोजी एण्ड टॉक्सिकोलोजी बीकानेर	(अ) (ब)	97 15	55070/- 11445/-	5507/- 1145/-	1100/- 500/-	29.08.22
9.	वेटेनरी फिजोलोजी बीकानेर	(अ)	16	688514/-	68849/-	13770	29.08.22
10.	पूल ऑफिस (मोटर पार्ट)	(अ)	79	19292/-	440/-	500/-	29.08.22
<b>कुल योग</b>			<b>1320</b>	<b>13490364/-</b>	<b>1020218/-</b>		

निलामी में जो भी व्यक्ति भाग लेना चाहता है वह निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी की बयाना राशि निलामी शुरू होने से पूर्व जमा करवाकर सम्मिलित हो सकता है। उपरोक्त सूची ब में इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रीकल उपकरण सम्मिलित है जिसकी निलामी में भाग लेने के लिए ई-वेस्ट एकत्रित करने वाली संस्था/इकाई केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से वैध प्रधिकार प्राप्त होनी चाहिए।

निलामी के नियम, एवं शर्तें महाविद्यालय कार्यालय में कार्य समय में देखी जा सकती है, जिसकी बोलीदाता को पालना की जानी अनिवार्य होगी। निलामी समान की सूची एवं निलामी योग्य सामान निलामी के दौरान एवं इससे पूर्व नीलामी स्थल पर कार्यालय समय में देखा व परखा जा सकता है।

  
अधिष्ठाता 3/8/22

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
2. कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
3. वित्त नियंत्रक, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
4. समन्वित विभाग के विभागाध्यक्ष.....
5. नोटीस बोर्ड, अधिष्ठाता, सी.वी.ए.एस., बीकानेर ।
6. नोटीस बोर्ड, .....
7. रोकडपाल सी.वी.ए.एस, बीकानेर ।

क्र.सं.	विवरण	प्रति	कुल	शेष	विवरण	क्र.सं.
1	...	...	...	...	...	1
2	...	...	...	...	...	2
3	...	...	...	...	...	3
4	...	...	...	...	...	4
5	...	...	...	...	...	5
6	...	...	...	...	...	6
7	...	...	...	...	...	7
8	...	...	...	...	...	8
9	...	...	...	...	...	9
10	...	...	...	...	...	10
...						...

*[Signature]*  
अधिष्ठाता

...

*[Signature]*  
...

# पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर

☎ 0151-2204123(O)/Fax-2205123 Mobile -08107110011 (M)


E-mail : [cvas901@gmail.com](mailto:cvas901@gmail.com)

No. F ( )/Acctts /CVAS/2022/ 130

Dated 03.8.2022

इस कार्यालय द्वारा निलामी सूचना सं. 01/2022-23 क्रमांक :- CVAS/Actts/2022-23/130 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा अनुपयोगी/अप्रचलित/ सरप्लस सामान की खुली निलामी द्वारा निलामी करने से सम्बन्धित मुख्य शर्तें एवं नियम निम्नांकित हैं :-

1. निलामी सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, स्थल एवं समय पर उपस्थित होकर बोली लगाई जा सकती है, बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को निविदा में निर्धारित बयाना राशि जमा करानी होगी।
2. खुली बोली विभागवार एवं नकारा सामान की ढेरी अनुसार लगानी होगी।
3. बोली निर्धारित आरक्षित मूल्य या इससे अधिक राशि से शुरू करनी होगी।
4. खुली बोली में भागलेने के लिए बोलीदाता को अपना पश्चय-पत्र अपने पास रखना होगा तथा बोली से पूर्व या बोली के दौरान मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
5. सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता के पक्ष में बोली को स्वीकृत करने का अधिकार निलामी कमेटी को होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को निलामी का निर्णय कमेटी द्वारा हो जाने के पश्चात उच्चतमबोलीदाता एवं वरियता इसके पश्चात आने वाले बोलीदाता की धरोहर राशि रोककर शेष बोलीदाताओं को राशि मौके पर ही लौटा दी जावेगी।
7. जिस बोलीदाता के पक्ष में बोली छुटती है उसे बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करानी होगी इसके पश्चात दो दिवस के अन्दर सम्पूर्ण राशि जमा करवाकर सामान उठाना होगा अन्यथा 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. निलामी की ढेरी का सम्पूर्ण सामान ले जाने होगा।
9. निलामी की पूर्ण राशि जमा करवाये बिना सामान नहीं ले जाने दिया जावेगा।
10. नियमानुसार देय जी.एस.टी एवं अन्य करों की राशि बोली दाता द्वारा जमा करवाई जावेगी। नियमानुसार देय जी.एस.टी जमा का चालाना बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करने पर सामान को ले जाने दिया जावेगा।
11. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।
12. निलामी के विवाद के सम्बन्ध अन्तिम निर्णय अधिष्ठाता सी.वी.ए.एस बीकानेर को होगा
13. अपील अधिकारी :-
  - (01) प्रथम अपील अधिकारी - कुलसचिव राजूवास बीकानेर।
  - (02) द्वितीय अपील अधिकारी- माननीय कुलपति महोदय राजूवास बीकानेर।
14. उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त जो निलामी कमेटी द्वारा तय की जावेगी सभी को मान्य होगी।



आर.के. सिंह अधिष्ठाता  
(सी0वी0ए0एस, बीकानेर)